संख्या-**36**/2016/सा-**3-342/**दस-**2016-308/97**टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,कोषागार,
उ0प्र0, जवाहर भवन,
लखनऊ।

(2) निदेशक, पेंशन,
उ0प्र0, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-**3** लखनऊः दिनॉक: 8 नवम्बर**, 2016**

विषयः- दिनॉक **01-01-2006** के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को **33** वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किये जाने संबंधी कार्यालय ज्ञाप दिनॉक **05-07-2016** का क्रियान्वयन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनॉक **01-01-2006** के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को **33** वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किये जाने संबंधी वित्त(सामान्य) अनुभाग-**3** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**22/2016/**सा- **3- 342/**दस- **2016-308/ 97**टी0सी0**,** दिनॉक **05-07-2016** के क्रियान्वयन हेतु कोषागारों द्वारा पेंशनरों से उनकी सेवा संबंधी सूचनायें यथा-अंतिम धारित पद का वेतनमान**,** दिनॉक **01-01-2006** से पुनरीक्षित वेतन संरचना में समवर्ती वेतन-बैण्ड तथा ग्रेड-वेतन एवं अर्हकारी सेवा की अवधि आदि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है।

2- दिनॉक **01-01-2006** के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण संबंधी शासनादेश संख्या-सा-**3-1541/**दस-**2008-**

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

308/97 टी0सी0 दिनॉक **19** जनवरी, **2009** द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। दिनॉक **01-01-2006** से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक सूचनायें उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप पर कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से कोषागारों को उपलब्ध कराये जाने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कोषागारों द्वारा किया गया। उक्त प्रारूप में वह सभी सूचनायें अंकित हैं, जो कार्यालय ज्ञाप दिनॉक **05-07-2006** के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हैं। यह सूचना कोषागारों में रक्षित पेंशनरों के अभिलेखों में अवश्य उपलब्ध है। अतः पेंशनरों से पुनः इन्हीं सूचनाओं को मांगा जाना उचित नहीं है।

3- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त कोषागारों को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-**36**/2016-सा-**3-342(1)/**दस-**2016-308/97** टी0सी0 तद्दिनॉक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

प्रतिलिपि :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।

(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in